



Neutral Citation No. - 2026:AHC:172384

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 4949 सन् 2026

वीरेश कुशवाहा

..... पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

..... विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता : अनूप कुशवाहा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 86

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि

1. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनूप कुशवाहा तथा राज्य की ओर से विद्वान राज्य विधि अधिकारी श्री विवेक दुबे को सुना गया।
2. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण उस अनुतोष के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसका उल्लेख प्रार्थना खंड में किया गया है। पुनरीक्षण के प्रार्थना खंड में उल्लिखित अनुतोष नीचे दिया गया है:-

"अतः, यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय पुनरीक्षण को स्वीकार करें तथा विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गोरखपुर द्वारा वाद संख्या 1518 सन् 2024 (सुविनिता कुशवाहा बनाम वीरेश कुशवाहा) में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के अंतर्गत पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.07.2026 को अपास्त करने की कृपा करें।

यह भी प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार

न्यायालय, गोरखपुर द्वारा वाद संख्या 1518 सन् 2024 (सुविनिता कुशवाहा बनाम वीरेश

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कुशवाहा) में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के अंतर्गत पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.07.2026 के प्रभाव एवं संचालन पर इस माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण लंबित रहने के दौरान रोक लगाने की कृपा करे।

यह माननीय न्यायालय विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गोरखपुर द्वारा आदेश दिनांक 04.07.2026 के माध्यम से प्रदान की गई भरण-पोषण की धनराशि को कम करने की भी कृपा करें, अन्यथा पुनरीक्षणवादी को अपूरणीय हानि एवं क्षति होगी, और/या वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अंतर्गत यह माननीय न्यायालय ऐसा अन्य तथा आगे का आदेश पारित करने की कृपा करे, जिसे यह उचित एवं समुचित समझे।"

3. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि परिवार न्यायालय, गोरखपुर के प्रधान न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 04.07.2026 के माध्यम से पुनरीक्षणवादी को अपनी पत्नी/विपक्षी पक्षकार संख्या 2 को आवेदन दिनांक 23.02.2026 से अंतरिम भरण-पोषण के रूप में 6000/- रुपये प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि अंतरिम भरण-पोषण की धनराशि पुनरीक्षणवादी की आय के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि वह इस पुनरीक्षण को गुण-दोष के आधार पर आगे नहीं चलाना चाहते हैं और इसे संबंधित परिवार न्यायालय को धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता/144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत लंबित आवेदन का अंतिम रूप से शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश देते हुए निस्तारित किया जा सकता है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि न्यायहित में आवेदन दिनांक 23.02.2026 से भरण-पोषण की धनराशि के बकाया को धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता/144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत लंबित आवेदन के अंतिम निस्तारण तक स्थगित रखा जा सकता है। उन्होंने आगे यह वचन दिया कि यदि यह न्यायालय पुनरीक्षणवादी के उपर्युक्त अनुरोध को स्वीकार करता है, तो पुनरीक्षणवादी आदेश दिनांक 04.07.2026 से भरण-पोषण की धनराशि के समस्त देय/बकाया का भुगतान करेगा और वह अपनी पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण की धनराशि भी नियमित रूप से प्रत्येक माह अदा करेगा। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि मध्यस्थता कार्यवाही के माध्यम से विवाद

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



के समाधान की संभावना है, अतः विचारण न्यायालय को विवाद के समाधान हेतु मामले को जनपद न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र के समक्ष भेजने का निर्देश दिया जा सकता है।

4. उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा न्यायहित में, आवेदन दिनांक 23.02.2026 से दिनांक 03.07.2026 तक की अंतरिम भरण-पोषण की धनराशि के बकाया की वसूली धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता/144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत लंबित आवेदन के अंतिम निर्णय तक स्थगित रहेगी। तथापि, पुनरीक्षणवादी को आदेश दिनांक 04.07.2026 से भरण-पोषण की धनराशि के समस्त देय/बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है और वह प्रत्येक माह नियमित रूप से भरण-पोषण की धनराशि का भुगतान करता रहेगा।
5. यदि पुनरीक्षणवादी उपर्युक्त किसी भी निर्देश का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गोरखपुर को प्रचलित विधि के अनुसार आदेश दिनांक 04.07.2026 के अनुसार पुनरीक्षणवादी से भरण-पोषण की धनराशि के बकाया की वसूली के लिए कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी। प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गोरखपुर को निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, बिना किसी अनावश्यक स्थगन की अनुमति दिए, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **राजनेश बनाम नेहा एवं एक अन्य, (2021) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेज 324** के प्रकरण में प्रतिपादित विधि के आलोक में, धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लंबित आवेदन पर अधिमानतः छह माह की अवधि के भीतर अंतिम आदेश पारित करें। संबंधित परिवार न्यायालय को आगे यह निर्देशित किया जाता है कि विवाद के समाधान हेतु मध्यस्थता कार्यवाही के माध्यम से मामले को जनपद न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र के समक्ष भेजे।
6. उपर्युक्त निर्देशों के साथ, यह पुनरीक्षण **निस्तारित** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

17 अगस्त, 2026

मनीष हिमवान

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”